फाइल सं0 22011/04/2007-एमपीआर
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

कमरा सं. 407,बी-विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 17 नवम्बर, 2009

सेवा में,

1. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के कृषि निदेशक
2. एसएसपी के सभी उत्पादक,
3. महा निदेशक, एफएआई

विषय: **सिंगल सुपर फॉस्फेट(एसएसपी) के लिए तदर्थ रियायत हेतु दिनांक 1-10-2009 से प्रभावी संशोधित नीति - जिन राज्यों में एसएसपी इकाइयां स्थित हैं उन राज्यों की सरकारों द्वारा मासिक आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए विहित प्रपत्र ।**

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 13-8-2009 के समसंख्यक पत्र का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जो सिंगल सुपर फॉस्फेट(एसएसपी) के लिए तदर्थ रियायत हेतु दिनांक 1-10-2009 से प्रभावी संशोधित नीति के संबंध में है।

2. जिन राज्यों में एसएसपी इकाइयां स्थित हैं उन राज्यों की सरकारों द्वारा मासिक आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए विहित प्रपत्र को इसके साथ संलग्न किया जाता है। उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उर्वरक विभाग से रियायत के "लेखागत" भुगतान का दावा करने के लिए एसएसपी के उत्पादकों/विपणनकर्ताओं द्वारा इस प्रपत्र को प्रपत्र-क और ग के साथ संलग्न किया जाना है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

वीरेन्द्र गुप्ता

(वीरेंद्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष व फैक्स:23388536

प्रतिलिपि:
निदेशक(एफए), निदेशक(वित्त), सीए,पीडीआईएल,एनआईसी-वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

जिन राज्यों में एसएसपी इकाइयां स्थित हैं उन राज्यों की सरकारों द्वारा तिमाही आधार पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रपत्र । उर्वरक विभाग से रियायत के "लेखागत" भुगतान का दावा करने के लिए एसएसपी के उत्पादकों/विपणनकर्ताओं द्वारा इस प्रपत्र को प्रपत्र-क और ग के साथ संलग्न किया जाना है।

******

1. राज्य का नाम
2. इकाई और स्थान का नाम
3. निरीक्षण की तारीख
4. निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी
5. तिमाही/वर्ष

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित तारीख को निरीक्षण किया और पाया कि मैसर्स ---------------------- के पास---------------में स्थित अपनी इकाई में उत्पादित एसएसपी के नमूनों की जांच करने के लिए एक सुसज्जित प्रयोगशाला है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस इकाई द्वारा उत्पादित एसएसपी की गुणवत्ता एफसीओ के नियमानुसार है। इकाई द्वारा उत्पादित/बिक्री किए गए एसएसपी के प्रत्येक बैग पर "गुणवत्ता प्रमाणित" की मुहर/मुद्रण है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित
राज्य सरकार